



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 माघ 1936 (शा०)

(सं० पटना 197) पटना, वृहस्पतिवार, 22 जनवरी 2015

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

21 जनवरी 2015

एस०ओ० 14, दिनांक 22 जनवरी 2015—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-14 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, विभागीय अधिसूचना संख्या एस० ओ० 24 दिनांक 24.03.2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रमांक 7 के स्तम्भ 3 के वर्तमान प्रविष्टि “30%” को प्रविष्टि “20%” द्वारा तुरत के प्रभाव से प्रतिस्थापित करते हैं।

[सं० बिक्री-कर/विविध-170/2013-387]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० ई०एल०एस०एन० बाला प्रसाद,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

21 जनवरी 2015

एस०ओ० 15, एस०ओ० 14, दिनांक 22 जनवरी 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं० बिक्री-कर/विविध-170/2013-388]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० ई०एल०एस०एन० बाला प्रसाद,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 21st January 2015

S.O. 14, dated the 22nd January 2015—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Sub-Section (1) of Section 14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) the Governor of Bihar is pleased to substitute the present entry “30%” of Column

Number (3) of serial number 7 of Departmental Notification Number S.O. 24 dated 24.03.2005 (as amended from time to time) by the entry “20%” with immediate effect.

[No. Bikri kar/Vividh-170/2013—**387**]

By order of the Governor of Bihar,

DR. E. L. S. N. BALA PRASAD,

Commissioner-cum-Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 197-571+50-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>